संख्या-13/2017/1203/94-स्टा०नि०-2-2017-700(223)/2017

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक 21 दिसम्बर, 2017

विषय:- स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों में लिपिकीय त्रुटि के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-2472/ई-स्टाम्प रिफण्ड/2017 दिनांक 10-08-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों में लिपिकीय त्रुटि में संशोधन करने विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश सं०-882/सं०वि०क०नि०-7-2012-700(97)/08टी०सी०, दिनांक 09-10-2013, शासनादेश सं०-4/1124/सं०वि०क०नि०-7-2014/700(223)/13, दिनांक 27-10-2014, शासनादेश संख्या-21/2015/1089/94-स्टा०नि०-2-700(223)/2013, दिनांक 04-09-2015 तथा शासनादेश संख्या-1493/94-स्टा०नि०-2-2015-700(223)/2013, दिनांक 22-12-2015 के संगत अंशों को समाविष्ट करते हुए तथा उक्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों में लिपिकीय त्रुटि के संशोधन निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किया जाता है:-

1- ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र में ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र के क्रेता के नाम प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने वाले का नाम तथा सम्पत्ति के विवरण की प्रविष्टियों का उल्लेख किया जाता है। अत: यदि प्राधिकृत संग्रह केन्द्र द्वारा की गयी इन प्रविष्टियों में कोई लिपिकीय त्रुटि हो जाती है तो ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को जारी किये जाने के दिन लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आने पर, त्रुटियों में संशोधन, तददिनांक या उसके अगले कार्यदिवस में स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संग्रह केन्द्रों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अपने स्तर पर ही संशोधन किया जा सकेगा।

2- ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के निर्गमन के अगले कार्य दिवस के बाद किन्तु 4 माह (120 दिन) की अवधि के अन्दर ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संग्रह केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी की आख्या पर संबंधित उप-निबंधक की संस्तुति के आधार पर जनपद स्तर पर सहायक महानिरीक्षक, निबंधन द्वारा लिपिकीय त्रुटि के संशोधन का अनुमोदन किया जा सकेगा।

3- ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र के निर्गमन के 4 माह से अधिक के बाद किन्तु 1 वर्ष की अवधि के अन्दर ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र निर्गत करने वाले स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संग्रह केन्द्र के प्राधिकृत अधिकारी की आख्या पर संबंधित उप-निबंधक एवं सहायक महानिरीक्षक, निबंधन

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

को संस्तुति के आधार पर मण्डल स्तर पर उप महानिरीक्षक निबंधन द्वारा लिपिकीय त्रुटि के संशोधन का अनुमोदन किया जा सकेगा तथा इस समय सीमा के उपरान्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र में लिपिकीय त्रुटि के संशोधन की आवश्यकता होने पर उप-महानिरीक्षक, निबंधन द्वारा महानिरीक्षक, निबंधन को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा तथा महानिरीक्षक, निबंधन द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त संशोधन विषयक यथेष्ट निर्णय लिया जायेगा।

4- ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र की प्रविष्टियों में स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया के संग्रह केन्द्रों द्वारा की गयी लिपिकीय त्रुटियों का संशोधन तथा ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र क्रय हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा किसी भी कॉलम में त्रुटिवश गलत विवरण अंकित कर दिये जाने के पश्चात् तदनुसार निर्गत ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र में एक ही बार संशोधन, उसी समय तक अनुमन्य किया जायेगा जब तक कि ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र का प्रयोग न किया गया हो तथा उप-निबंधक द्वारा उक्त ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र को लॉक्ड न किया गया हो तथा संशोधन किये जाने पर मूल स्टाम्प-पत्र में अंकित आवश्यक विवरण में कोई ऐसा गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो जिससे स्टाम्प की देयता प्रभावित होती हों।

5- लिपिकीय त्रुटि का सुधार मूल स्टाम्प प्रमाण-पत्र में नहीं किया जायेगा बल्कि संशोधित प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा। उपरोक्त प्रकरणों में लिखत के निबंधन के समय स्टाम्प प्रमाण-पत्र की मूल एवं संशोधित दोनों प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

6- कलेक्टर या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकृत अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों को उसी प्रकार संरक्षित करेगा जिस प्रकार ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र के निरस्तीकरण से संबंधित प्रार्थना-पत्रों को संरक्षित किया जाता है।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-13/2017/1203(1)/94-स्टा०नि०-2-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त उप-महानिरीक्षक/सहायक महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप-निबंधक, निबंधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. क्षेत्रीय प्रबंधक, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in